न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 247/2014

बउनवान

तोलाराम पुत्र मदनलाल जाति नायक निवासी हरिपुरा तहसील बारां, जिला–बारां, राज0

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां, जिला बारां (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री बृजराज किशोर शर्मा, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक 14.09.2022

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 24.02.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–हरिपुरा तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 476 रकबा 0.20 है. किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 110/–रूपये अर्थदण्ड एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं कानूनी मान्यता प्राप्त सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय से पूर्व ना तो मौके पर कब्जे बाबत पुष्टि की ना ही पड़ौसी खेत वालों की कोई साक्ष्य रिकार्ड पर ली गई मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट को आधार मानते हुए बिना अपीलांट को सुनवायी एवं जवाबदेही का अवसर दिये एकतरफा निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उक्त आराजी पर अपीलांट का कभी कब्जा नहीं रहा है ना वर्तमान में है ना कोई फसल प्राप्त की है। निर्णय से पूर्व अपीलांट को ना तो विधिवत कोई नोटिस दिया ना कोई सूचना प्रेषित की। अपीलांट ने ताबान राशि भी जमा करवा दी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.02.2014 निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर बारां (राज0)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया [illegible] रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय [illegible] किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण बहस हेतु नि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 11:09:49 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट [illegible]नुपस्थित रहने से हम[illegible]पक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 309/2013 निर्णय दिनांक 22.02.2013 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के संबंध में पटवारी हल्का के बयान के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 239/2014 में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष एक माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 24.02.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.02.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर,बारां
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 11:09:49 IST
Reason: SelfAttested